

प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रगति आख्या सम्बन्धी प्रारूपः—
निस्तारण से सम्बन्धी कार्यालय का नामः— द्वितीय वृत्त, मेरठ

परिषद दिवस के आयोजन का दिनांकः—21.01.2016

क्रमांक	आवेदक का नाम, पता एवं मोबाईल नं०	शिकायत का विषय	यदि पुनः आवेदन हो तो पूर्व आवेदन का क्रमांक एवं तिथि	निस्तारण हेतु दिया गया समय—(तत् काल / 7 दिन / 15 दिन)	कार्य से सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी का अभिमत एवं प्रगति की स्थिति	टिप्पणी (प्रकरण निस्तारित)
1.	श्रीमती सविता रानी पत्नी श्री प्रवीन राय 305/9, जागृति विहार, मेरठ। 9927286084	सड़क पर निर्माण करने के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-5, मेरठ के पत्रांक 509/ जी-15/ 31 दिनांक 03.5.16 द्वारा आवेदिका को सूचित किया गया है कि भवन सं0-305/9 डैड एण्ड का भवन है तथा भवन सं0-306/9 व 305/9 दोनों एक ही टाईप डिज़ाइन 18/40 के भवन हैं। भवन सं0-306/9 के आवंटी द्वारा अपने भवन में फंट सैट बैंक को कवर्ड करते हुए एवं रैम्प का निर्माण करने पर परिषद अधिनियम-1965 की धारा-82, 83 के अन्तर्गत कार्यालय के पत्र सं0-5/ नोटिस फाईल दिनांक 18.2.16 द्वारा नोटिस दिया जा चुका है तथा इसके अनुपालन में आवंटी द्वारा सड़क पर बनाया गया रैम्प तोड़ दिया गया है। यद्यपि उक्त भवन के आवंटी द्वारा परिषद से कब्जा प्राप्त भूमि पर ही निर्माण किया गया है। भवन सं0-305/9 भवन टाईप 18/40 तथा डैड एण्ड का भवन होने एवं भवन	निस्तारित

सं0-306/9 का भवन टाईप
18/40 होने के कारण स्थल पर¹
रास्ता कम हो गया है। इस
सम्बन्धस में पूर्व में भी आपको इस
कार्यालय के पत्र सं0-1349/
जी-15/138 दिनांक 09.10.15
द्वारा, पत्र सं0-52/ जी-15/08
दिनांक 15.1.16 एवं पत्र सं0-127/
जी-15/ दिनांक 01.2.16 द्वारा पूर्व
में भी सूचित किया जा चुका है।
अतः प्रकरण निस्तारित है।